नुकसान परेशान कास्तकार ने नाला खुलवाने की मांग, पानी भराव से नष्ट हो रही खेती

आदेश के बाद भी नहीं खुलवाया जा रहा नाला

ब्योहारी। ग्राम जमोड़ी मे स्थित बांध की नाट को जागेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह और रणबहादुर सिंह द्वारा मिट्टी डालकर पाट दिया गया है। पानी भरने के कारण जमोड़ी निवासी कास्तकार धीरेन्द्र सिंह की खेती नष्ट हो रही है जिसे लेकर काफी परेशान है। न्यायालय तहसील से नाट खोले जाने का आदेश हुआ है इसके बाद भी अनावेदक द्वारा नाट नहीं खोला जा रहा और न ही राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा नाट खुलवाकर आदेश का पालन कराया जा रहा है।

आदेश का नहीं हो रहा पालन

कास्तकार धीरेन्द्र सिंह निवासी जमोड़ी द्वारा बताया गया कि ग्राम जमोड़ी हल्का खुटेहरा की आराजी खसरा न. 647/2 रकवा 0.494 हे., 447/3 रकवा 0.494 हे. पट्टे की भूमियाँ है तथा खसरा न. 649/1 रकवा 0.607 हे. शासकीय भूमि है जो नाला किस्म का है। जागेंद्र सिंह, रणबहादुर सिंह एवं लक्ष्मण सिंह द्वारा 649/3 के अंश रकवा 0.061 हे. जो नाला प्रचलित था उसे मिट्टी से पाटकर अवरुद्ध कर दिया गया है। धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि दिनांक 19/11/2024 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ब्योहारी के न्यायालय सेदा. प्र. क्र.0003/अपराधिक/133/2024-25 पारित कर तहसीलदार ब्योहारी को नाट खुलवाने का आदेश दिया गया था। पारित आदेश अनुसार नाला खुलवाये जाने हेतु तहसीलदार के यंहा आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार ब्योहारी द्वारा सुनवाई करते हुए अनावेदकगणो को नाला खोलेजाने का आदेश दिया गया एवं अनावेदक द्वारा आदेश का पालन नही करने पर राजस्व निरीक्षक को एक सप्ताह के अंदर नाला खुलवाकर पालन प्रतिवेदन माँगा गया था इसके बाद भी राजस्व निरीक्षक द्वारा नाला नहीं खुलवाया जा रहा है।

नाला अवरुद्ध करने से फसल हो रही प्रभावित

आवेदक ने बताया कि खेत से नाला जो बना था जिसका पानी का बहाव अनावेदकगण की भूमियो से होकर सुरही नदी मे जाकर मिलता था उसे अवरूद्ध कर दिया गया है। राजस्व निरीक्षक ने भी जांच प्रतिवेदन दिनांक 25 / 10/2024 एवं 06/ 07/2025 मे यह पाया गया कि पूर्व से प्रचंलित नाला को अवरूद्ध किये जाने से न नाला के उपरी खेतो की फसल प्रभावित होती है। भू-राजस्व संहिता की धारा 133 । प्रवधानित किया गया हे कि जल सरणी या जल स्त्रोत मे जो धारा 131 क अधीन किसी विनिश्च का विषय रहा हो, अढचन पडती है तो ऐसी बाधा के लिये उत्तरदायी व्यक्ति को उसे हटाये जाने का आदेश कर बाधा को हटवाया जायेगा। इसके बाद भी नाला नहीं खुलवाया जा रहा है जिससे लगी फसल नष्ट हो रही है।

इनका कहना है

मेरे नॉलेज में है। काम की ब्यस्तता के कारण अभी नहीं जा पाया था। आज एक जगह कब्जा दिलाने आ गया हूँ। कल जा कर नाला खोलवा दूंगा।

आर. पी. सतनामी, राजस्व निरीक्षक ब्योहारी

सांसद हिमाद्री सिंह भारत गौरव अवार्ड 2025 से सम्मानित

शहडोल। संसदीय क्षेत्र शहडोल की सांसद हिमाद्री सिंह को भारत गौरव अवार्ड 2025 से किया गया सम्मानित। श्रीमती हिमाद्री को यह प्रतिष्ठित सम्मान मिलने पर संसदीय क्षेत्र के लोगों सहित प्रदेश भर से उन्हें बधाईयां और शुभकामनाएं प्रदान की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीमती सिंह को नई दिल्ली में आयोजित भारत गौरव अवार्ड-2025 कार्यक्रम में तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा द्वारा भारत गौरव अवार्ड-2025 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान श्रीमती सिंह और सम्पूर्ण क्षेत्र लिए गर्व का विषय है और समाज सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण को रेखांकित करते हुए और भी दृढ़ करता है। श्रीमती सिंह ने प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित होने पर कहा है कि मैं भारत गौरव फाउंडेशन एवं राज्यपाल महोदय का हृदय से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूँ। शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, बडवारा सहित अन्य स्थानों से उन्हे बधाईयों का तांता लगा है।

सेवा निवृत्त प्राचार्य पेंशनर एसो. में शामिल

गोहपारू। शिक्षा विभाग में 40वर्ष की अनवरत सेवा पूरी करते हुए 10वर्षो से माडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोहपारू में पदस्थ दिनांक 31जुलाई 2025को सेवा निवृत्त प्राचार्य शैल कुमार तिवारी द्वारा प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन के महासचिव महेश प्रसाद द्विवेदी से एसोसिएशन में शामिल होने की इच्छा जाहिर करने के परिणामस्वरूप उनके सेवा निवृत्त सह सम्मान समारोह में एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष सनत कुमार पाण्डेय जिला उपाध्यक्ष परसुराम द्विवेदी तहसील अध्यक्ष राजेश कुमार परौहा सहित महासचिव महेश प्रसाद द्विवेदी द्वारा उन्हें सैंकड़ों लोगों की उपस्थिति में संगठन पट्टिका, शाल श्रीफल रामायण भेंटकर बैज लगाते हुए आजीवन सदस्यता रसीद देकर उन्हें प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन मध्यप्रदेश परिवार में शामिल किया गया उन्होंने एसोसिएशन में सम्मिलित होकर आजीवन सदस्य बन कर हमेशा सहयोग करने का संकल्प लियाप्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन संभाग शहडोल इकाई द्वारा उनका कोटि-कोटि धन्यवाद ज्ञापित किया है तथा जिला के जिला अध्यक्ष पी सी गुप्ता एवं कार्यकारी अध्यक्ष इमरान सिद्दीकी द्वारा हार्दिक स्वागत किया गया है।

बीपीएम विवेक बरमन ने सरकार को लगाया 7 लाख 28 हजार 750 रुपए का चूना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विकास खंड बुढार का मामला

धनपुरी, नवभारत। शहडोल जिले में तरह-तरह के घोटाले जनता के सामने आ रहे हैं। कहीं चाय नाश्ता, ड्राई फ्रूट्स (काजू ,किशमिश बादाम) के नाम पर सरकार को चूना लगाया जा रहा है तो कहीं रंग पेंट के मामले में सरकार की जेब काटी जा रही थी। नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार तो मानो लाइसेंसी हो गया हो।घोटालों की अगली कड़ी में पेश है विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक विकासखंड बुढार जिला शहडोल विवेक बरमन का शासन को 7 लाख 28 हजार 750 रुपए का चूना लगाने का मामला। बीते 22 जुलाई को डा सलोनी सिडाना मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने विकासखंड बुढार में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को सत्यापित ना कर असंगत कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि के भुगतान में विवेक बर्मन को जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में पत्र जारी किया था। इस पत्र में बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आपको विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक का प्रभार सौंपा गया था कि आप विकासखंड में संचालित विभागीय योजनाओं का हितग्राहियों के हित लाभ हेतु क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड में पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पूर्ण कार्यों की निगरानी मार्गदर्शन का कार्य इसमें शामिल है। आपके द्वारा 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 2025 के मध्य विकासखंड में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के वास्तविक प्रदर्शन एवं प्रोत्साहन राशि में गड़बड़ी की गई। इससे स्पष्ट है कि कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि की प्राप्ति हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किए गए उनके वास्तविक प्रदर्शन के विरुद्ध सत्यापन का दायित्व आपका था आपने इस दायित्व का जिम्मेवारी से निर्वहन नहीं किया जिसके कारण शासन/मिशन को 7लाख 28 हजार 750 रुपए की हानि हुई। आपके द्वारा अधीनस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का सूक्ष्मता से सत्यापन ना करते हुए वास्तविक कार्य हेतु पात्र प्रोत्साहन राशि 1लाख 99 हजार 250 के विरुद्ध 9 लाख 28 हजार की राशि का भुगतान किया गया जिससे शासन को 7 लाख 28 हजार 750 रुपयों की वित्तीय हानि हुई ।आपका यह कृत्य अनियमितता का बोधक है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के प्रचलित मानव संसाधन मैनुअल के बिंदु क्रमांक 11.1,11.3 के अनुरूप न होकर गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है।

क्यों ना आपसे वसूली जाए 7लाख 28 हजार 75 रुपए- इस पत्र में बीपीएम विवेक बरमन को अपना प्रतिवाद तर्कसंगत अभिलेखों के साथ 31 जुलाई को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। उन्हें (विवेक बरमन को) कहा गया था कि क्यों ना मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(3) के अंतर्गत उक्त हानि 728750 रुपए की वसूली आपसे की जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के प्रचलित मानव संसाधन मैनुअल के बिंदु क्रमांक12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 व 12.4 के तहत शासकीय राशि अधिरोपित की जाए। यदि आपने अपना प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया तो यह मानकर की आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुए इस प्रकरण का विधि सम्मत निराकरण कर दिया जाएगा।

इन्हें भी कराया गया अवगत- मिशन संचालक के द्वारा इस पत्र के माध्यम से प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश, आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश, कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति शहडोल, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जिला पंचायत जिला शहडोल, अपर संचालक संचनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश, संचालक वित्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई शहडोल विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई बुढार को भी इस मामले से अवगत कराया है।

सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है

तरह-तरह के भ्रष्टाचार करके खुलेआम शासन को लाखों रूपयों का चूना लगाया जाता है। स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधा आम नागरिकों को मिले इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना बनाता है और उसके लिए बजट भी उपलब्ध कराता है। बीपीएम विवेक बरमन ने आखिर किन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पात्र प्रोत्साहन राशि एक लाख 99 हजार 250 के विरुद्ध 9 लाख 28 हजार की राशि का भुगतान किया और शासन को 7 लाख 28 हजार 750 रुपयों की वित्तीय हानि पहुंचाई। इस मामले में यदि बारीकी से जांच की जाए तो सारी सच्चाई खुद-ब-खुद सामने आ जाएगी।

नगर का सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे इसके लिए मांगी गई दुआ

धनपुरी, नवभारत। बीते शनिवार को धनपुरी नगर में कुछ लोगों के द्वारा अपना नाम चमकाने के चक्कर में मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैलाने की नाकाम कोशिश की गई थी जिसका मुस्लिम समुदाय के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया था। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा इस पूरे मामले की जानकारी कलेक्टर, आईजी और पुलिस अधीक्षक शहडोल को देते हुए दोषियों पर ठोस कार्यवाही करने की मांग की थी। धनपुरी नगर का सांप्रदायिक सद्भाव हमेशा इसी तरह बना रहे नगर के लोग कौमी एकता की मिसाल पेश करते रहे इसके लिए गत दिवस मदीना जामा मस्जिद कच्छी मोहल्ला में मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा अमन चैन शांति की दुआ मांगी गई।

सोशल मीडिया से नौजवान बनाए दूरी अपने करियर पर दें ध्यान- इस दौरान जामा मस्जिद के पेश इमाम मुफ्ती तनवीर मुस्तफा और मस्जिद के सदर मोहम्मद फरीद ने उपस्थित बच्चों, नौजवानों एवं अभिभावकों को समझाइश देते हुए कहा कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक इत्यादि से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी धर्म मजहब पंत समुदाय के बारे में किसी भी परिस्थिति में आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी जानकारी तुरंत थाने में दें। मौलाना तनवीर अशरफ ने युवाओं को सोशल मीडिया से दूरी बनाकर अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की अपील की है।

मेडिकल कॉलेज की खस्ताहाल सड़क सुधारने सौंपा ज्ञापन

शहडोल। युवा कांग्रेस शहडोल ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुपम गौतम के मार्गदर्शन पर जिला महासचिव निशांत जोशी की नेतृत्व एवं जिला महासचिव प्रियांशु चौबे की अध्यक्षता में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है जो कि इस प्रकार इंदिरा गाँधी चौक (बुढ़ार चौक) से शासकीय बिरसा मुंडा चिकिसालय चंपा तक सड़क चौडीकरण करने बाबत। निवेदन किया है की वर्त्तमान में इंदिरा गाँधी चौक (बुढ़ारचौक) से शासकीय बिरसा मुंडा चिकित्सालय तक की सड़क बेहद सकरी है जिसमे आये दिन एम्बुलेंस एवं आम अन्य वाहन जाम में फसते है। सम्पूर्ण शहडोल संभाग में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा एक ही शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय स्थापित है, प्रायः लोग सम्पूर्ण संभाग से उक्त चिकित्सालय महाविद्यालय में इलाज करवाने हेतु आते है एवं कई बार मानव जीवन को बचाने के लिए कुछ सेकंड/मिनटों की आवश्यकता होती है।

एसईसीएल मुख्यालय में महाप्रबंधक समन्वय बैठक

अभिमन्यु ई-पत्रिका के आठवें अंक का हुआ विमोचन

धनपुरी, नवभारत। एसईसीएल मुख्यालय में गत दिवस महाप्रबंधक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कंपनी के कार्यसंचालन के जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के प्रारम्भ में सीएमडी हरीश दुहन द्वारा निदेशक (तकनीकी-संचालन सह योजना/परियोजना) एन. फ्रैंकलिन जयकुमार, निदेशक (एचआर) बिरंची दास, निदेशक (वित्त) डी. सुनील कुमार, मुख्य सतर्कता अधिकारी हिमांशु जैन, क्षेत्रीय महाप्रबंधक एवं मुख्यालय के विभागाध्यक्षों की उपस्थिति में अभिमन्यु ई-मैगज़ीन के आठवें अंक का विमोचन किया गया। इसके साथ ही सीएमडी हरीश दुहन द्वारा छठे एवं सातवें अंक के बेस्ट आर्टिकल विजेता, वैभव निगम, सहायक प्रबन्धक (उत्खनन), सीएमपीडीआई आरआई-व्ही एवं आरती कुमारी, सहायक प्रबन्धक (विधि), एसईसीएल रायगढ़ क्षेत्र को पुरस्कृत किया गया।

फेक आईडी बनाकर युवती को कर रहे थे बदनाम

शहडोल। थाना सोहागपुर में एक युवती द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर सोशल मीडिया प्लेटफर्म 'इंस्टाग्राम' पर उसकी व्यक्तिगत छवि को क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से बनाई गई फर्जी आईडी की शिकायत की गई थी ।शिकायत में बताया गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया पर युवती की तस्वीरों का दुरुपयोग करते हुए फर्जी आईडी बनाई गई, जिसमें फरियादिया की आपत्तिजनक फोटो व वीडियो पोस्ट कर सामाजिक छवि को ठेस पहुँचाई गई। इन फर्जी आईडी के माध्यम से युवती के परिजनों और जान-पहचान के लोगों को जोड़ा गया और लगातार अश्लील सामग्री प्रसारित की जा रही थी। आवेदन पर थाना सोहागपुर पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए साइबर सेल की तकनीकी सहायता से आरोपियों की पहचान की गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मो. इमरान खान पिता वसीम खान, उम्र 23 वर्ष, निवासी पान तलैय्या, जबलपुर । श्रेय रजक पिता सुरेश रजक, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम बिलहरी, थाना अधारताल, जबलपुर, उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध आईटी एक्ट एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर न्यायालय पेश किया जा रहा है।उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सोहागपुर निरी. भूपेन्द्र मणी पाण्डेय के नेतृत्व में उ.नि. नेहा उइके, सउनि. रामनारायण पाण्डेय, प्र.आर. संतोष परिहार, आर. विवेक झारिया, आर. कुलदीप सिंह एवं आर. हनुमान सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

बीएमएस के कोल उधोग प्रभारी के. लक्ष्मा रेड्डी सोहागपुर दौरे पर

राष्ट्रीय महामंत्री सुजीत सिंह भी रहेंगे मौजूद

धनपुरी, नवभारत। श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय कोल उद्योग प्रभारी के.लक्ष्मा रेड्डी आज एक दिवसीय दौरे पर सोहागपुर क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। उनके साथ अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सुजीत सिंह भी उपस्थित रहेंगे। श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ सोहागपुर के कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद मिश्रा एवं महामंत्री ओमकार द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय कोल उद्योग प्रभारी के.लक्ष्मा रेड्डी एक दिवसीय दौरे पर सोहागपुर क्षेत्र आ रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ सोहागपुर क्षेत्र द्वारा अपने दोनों बड़े नेता कोल उद्योग प्रभारी के.लक्ष्मा रेड्डी और अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सुजीत सिंह के ऐतिहासिक स्वागत की तैयारी पूरी कर ली गई है।

आरसी क्लब में इकट्ठा होंगे बीएमएस कार्यकर्ता- कोल उद्योग प्रभारी के सोहागपुर क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर भारतीय मजदूर संघ सोहागपुर क्षेत्र के द्वारा आरसी क्लब में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को कोल उद्योग प्रभारी के. लक्ष्मा रेड्डी और राष्ट्रीय महामंत्री सुजीत सिंह संबोधित करेंगे ।यह कार्यक्रम दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा। बीएमएस के कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद मिश्रा एवं महामंत्री ओमकार द्विवेदी ने सोहागपुर क्षेत्र के समस्त बीएमएस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारीयों से इस कार्यक्रम में बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की है।

किसका संरक्षण ठेकेदार पजेशन देकर फरार होने की फिराक में

सड़क पर बन गई डबल स्टोरी कॉमर्शियल बिल्डिग, अनुमति पर उठ रहे सवाल

शहडोल। शहडोल के राजेंद्र नगर कॉलोनी, जो 1963 पटवारी हल्कासोहागपुर की आराजी खसरा नंबर 1849 और 1847 सहित अन्य भाग पर बनाया गया था में टाउन प्लानर के तहत स्थापित शहर की पहली कॉलोनी सोहागपुर के राजा मृगेंद्र सिंह के द्वारा विधिवत टाउन प्लानिंग के तहत बनवाई गई थी, यह कॉलोनी कमिश्नर बंगले और कमिश्नर कार्यालय के बीच में बनवाई गई थी जिसमें राजेंद्र टॉकीज के पीछे एक 30 फीट चौड़ी सड़क पर नगर पालिका परिषद भवन निर्माण की न सिर्फ अनुमति दी बल्कि बहुचर्चित ठेकेदार द्वारा यह कार्य भी हाथ में लिया गया। माना जाता है ठेकेदार को शहडोल की एक-एक सड़क और जमीन का पूरी जानकारी है क्योंकि यह नगरपालिका का परमानेंट ठेकेदारहै। यह अनुमति मिनांशु मस्ता नामक व्यक्ति को दी गई, जो कथित तौर पर एक बैंक के लिए किराए पर देने हेतु लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से भवन बना रहा है। इस निर्माण ने स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है, क्षेत्रीय पार्षद संजीव सिंह का कहना है उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि यह सड़क कॉलोनी की मुख्य सड़कों में से एक है और टाउन प्लानिंग नियमों के तहत इसे खाली रखा जाना चाहिए था।

भ्रष्टाचार के आरोप और सवाल

स्थानीय जन चर्चा में यह सवाल गूंज रहा है कि मिनांशु मस्ता को इस अनुमति के लिए किस नेता का संरक्षण प्राप्त है। सूत्रों के अनुसार, जिस ठेकेदार द्वारा यह निर्माण किया जा रहा है, वह पूर्व में एक प्रमुख भाजपा नेता के लिए न सिर्फ काम करता था बल्कि नगर पालिका में वह नेता का पर्यायवाची माना जाता है। और नगर पालिका के बड़े ठेकों में उसका दबदबा था। अब सवाल उठता है कि क्या भ्रष्टाचार के अवसर कम पड़ गए हैं कि नगर पालिका को सड़क जैसे सार्वजनिक स्थान पर भवन निर्माण की अनुमति देनी पड़ी ? आरोप यह भी है कि नगर पालिका मे इस निर्माण से संबंधित सभी फाइलें गायब कर दी हैं, जो इस मामले को और संदिग्ध बनाता है। यह पारदर्शिता की कमी और संभावित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह की अनुमति न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि कॉलोनी के निवासियों के लिए यातायात और सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरा पैदा कर सकती है।

कानूनी स्थिति

यह मामला वर्तमान में शहडोल जिला न्यायालय में लंबित है। 31 जुलाई 2025 को इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें यह तय किया जाना था कि इस निर्माण पर स्थगन आदेश जारी किया जाए या नहीं। अदालत का फैसला न केवल इस विशेष मामले को प्रभावित करेगा, बल्कि यह भी स्पष्ट करेगा कि नगर पालिका ने सड़क पर निर्माण की अनुमति क्यों और कैसे दी। निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की नजर इस फैसले पर टिकी है, क्योंकि यह भविष्य में इस तरह के मामलों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है ।शहडोल नगर पालिका पहले भी इस प्रकार के विवादों में रही है, अब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इस तरह की भ्रष्टाचार पूर्ण अनुमतियों के पीछे राजनीतिक संरक्षण का खेल चल रहा है? क्योंकि अनुमति देने वाला संबंधित इंजीनियर इस मामले की जांच करने से पूरी तरह से बच रहा है और फाइल की अनदेखी करके मामले को दबाने के तमाम प्रयास करता दिख रहा है ।नगर पालिका द्वारा फाइलें गायब करने और नियमों की अनदेखी करने के आरोप न केवल प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी संकेत देते हैं कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा है ।निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस मामले की गहन जांच हो और दोषियों को सजा दी जाए। यह देखना बाकी है कि क्या शहडोल नगर पालिका इस विवाद को सुलझाने और अपनी विश्वसनीयता बहाल करने में सक्षम होगी, या यह मामला भ्रष्टाचार के एक और काले अध्याय के रूप में दर्ज हो जाएगा।